रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 114] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 15, 1967/श्रावण 24, 1889

No. 114] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 15, 1967/SRAVANA 24, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th August 1967

No. 31/7/67-Ad.IIIB.—The President is pleased, on the occasion of Independence Day, 1967, to award Posthumously an Appreciation Certificate to the undermentioned officer of the Collectorate of Central Excise, Bombay, for exceptionally meritorious service rendered when undertaking a task even at the risk of his life:—

Name of the officer and rank:

Late Shri Jayant Sitaram Patole, Inspector of Central Excise.

Statement of services for which the Certificate is awarded:

On 24th February, 1967, Shri Patole, Inspector, Flying Squad, Shriwardhan, received information that a person had landed from Kutchi-Kotia Vessel carrying contraband from Dubai near Shriwardhan and was making arrangements for transhipment of goods and for this purpose was proceeding by the State Transport Bus to Bombay. Shri Patole, along with the staff, rushed to the State Transport Bus stop, detained one person named Ahmed Siddique and seized some documents from him. Shri Patole conveyed this information telegraphically to his senior officers and sought assistance. In the meantime, on receiving further information that some persons from the vessel would land in search of Ahmed Siddique, he,

with a view to keeping a watch over these persons, formed two groups—one led by himself at Pir and the other at the Custom House near the Jetty. The latter party was to be ready to rush to the spot immediately after getting a signal from him and intercept the suspected vessel. Accordingly, Shri Patole with his party proceeded to Haji Maskit Pir Darga, Shriwardhan, on the night of 25th February 1967, while the other party kept watch over the sea shore at a distance of about three miles.

In the early hours of 26th February 1967, Shri Patole and his party saw four persons arriving at Darga and thereupon he challenged them and apprehended two persons while the other two ran away. Shri Patole immediately ran after them, followed by the Sub-Inspector Shri Badlani (who was at some distance behind him), overtook them in the adjoining jungle and had a scuffle with them. One of the smugglers thereupon opened fire and Shri Patole too returned the fire with his revolver. Finally, one of the smugglers shot him in the abdomen injuring him seriously. The two smugglers ran away with his .380 revolver and Shri Patole was rushed to the hospital. All efforts were made to save his valuable life but to no avail, and Shri Patole unfortunately died on 3rd March 1967. In this operation, the late Shri Patole displayed a keen sense of resourcefulness and conspicuous bravery of a very high order. He performed his duty even at the risk of his life.

2 The award is made under clause (a)(i) of para 1 of the Scheme governing the grant of award to the officers and staff of the Customs, Central Excise and Land Customs Departments published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad. IIIB, dated the 5th November, 1962, and consequently carries with it the monetary allowance admissible to his widow @ Rs. 25 p.m., for a period of ten years or till re-marriage of the widow, whichever is earlier under clause (b) of the Notification *ibid* read with clause (g) thereof as amended *vide* Government of India Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 31/12/65-Ad IIIB dated the 27th November, 1965 published in Part 1, Section 1 of the Gazette of India dated Saturday, the 27th November, 1965. The monetary allowance will be admissible from the date of the incident *viz.* 26th February, 1967.

D. P. ANAND, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व तथा बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अगस्त 1967

सं० 31/7/67-एडी-IIIबी.---स्वतन्त्रता दिवस, 1967 के अवसर पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय बम्बई के निम्नलिखित अफसर को, अपने जीवन को भी संकट में डालने वाला कार्य करते हुए की गई असाधारण प्रशस्त सेवा के लिये राष्ट्रपति जी यह प्रशंसा प्रमाण-पत्र उक्त अधिकारी को मरणोपरान्त प्रदान करते हैं:—

अफसर का नाम और पद

स्वर्गीय श्री जयन्त सीताराम पतोले, निरीक्षक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

जिन सेवाओं के लिये प्रमाण-पत्र दिया गया उनका विवरण :

24 फरवरी 1967 को श्री पतोले निरीक्षक, धावक दस्ता, श्रीवर्धन को यह सूचना प्राप्त हुई कि दुबाई से निषिद्ध वस्तुओं को साथ लेकर एक व्यक्ति कुत्ची-कोटिया जलयान से श्रीवर्धन के निकट उतरा था और माल को अन्य यान द्वारा भेजने की व्यवस्था कर रहा था तथा इस उद्देश्य से वह राज्य परिवहन बस से बम्बई जा रहा था। श्री पतोले अपने कर्मचारियों के साथ राज्य परिवहन बस के अड्डे की ओर तेजी से भागे, और अहमद सिद्दीक नामक व्यक्ति को रोका तथा उसके पास से कुछ कागज

पकड़े। श्री पतोले ने यह सूचना तार द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई और मदद मांगी। इसी बीच, यह अतिरिक्त सूचना मिलने पर कि जलयान पर से कुछ व्यक्ति अहमद सिद्दीक की खोज में उतरेंगे, श्री पतोले ने इन व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिये दो दल बनाये। एक दल स्वयं श्री पतोले के नेतृत्व में पीर दरगाह पर रहा और दूसरा दल जटी के पास सीमाशुल्क गृह पर रहा। दूसरे दल को श्री पतोले से संकेत मिलते ही तुरन्त घटनास्थल पर जाने को तैयार रहना था और संदिग्ध जलयान को मार्ग में रोकना था। तदनुसार, श्री पतोले अपने दल के साथ 25-2-1967 की रात को श्रीवर्धन-स्थित हाजी मस्किट पीर दरगाह के वहां गये और दूसरा दल करीब तीन मील दूर समुद्र तट की निगरानी पर रहा।

26-2-1967 के बड़े सवेरे श्री पतोले तथा उनके दल ने दरगाह पर चार व्यक्तियों को आते देखा और देखते ही श्री पतोले ने उन्हें टोका तथा दो व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया, जितने में अन्य दो व्यक्ति भाग चले श्री पतोले तुरन्त उनके पीछे भागे। उप-निरीक्षक श्री वदलानी (जो श्री पतोले के पीछे कुछ दूरी पर थे) श्री पतोले के पीछे पीछे भागे। श्री पतोले ने पास ही के जंगल में उनको जा पकड़ा और वह उनके साथ गुत्थमगुत्था हो गये। इस पर एक तस्कर ने गोली चलाई और श्री पतोले ने भी अपने रिवाल्वर से जवाब में गोली चलाई। आखिरकार एक तस्कर ने श्री पतोले के पेट में गोली मार दी जिससे वह बुरी तरह घायल हो गये। दोनों तस्कर श्री पतोले के .380 रिवाल्वर को लेकर भाग गये। श्री पतोले को अस्पताल ले जाया गया। उनके अमूल्य जीवन को बचाने के लिये पूरी कोशिश की गयी किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। और दुःख है कि श्री पतोले का 3 मार्च 1967 को स्वर्ग-वास हो गया। इस कार्यवाही में स्वर्गीय श्री पतोले ने अपनी प्रखर सूझ-बूझ एवं उच्च कोटि की विशिष्ट वीरता दिखाई और अपने जीवन को भी जोखिम में डालकर अपने कर्त्तव्य का पालन किया।

2. यह पुरस्कार सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा स्थल सीमा शुल्क विभागों के अफसरों और कर्मचारियों को पुरस्कार देने से संबन्धित योजना की कण्डिका I के खण्ड (क) (I) के अन्तर्गत दिया जाता है। यह योजना भारत के गजट असाधारण के भाग I खण्ड 1 में अधिसूचना संख्या 12/139/59-एडी-बी दिनांक 5 नवम्बर 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी तथा इसी के खण्ड (ख) के अन्तर्गत उसके खण्ड (छ) के साथ पठित योजना के अनुसार, जैसा कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 31/12/65-एडी-III-बी, दिनांक 27 नवम्बर 1965 द्वारा संशोधित की गई थी जो भारत के गजट के भाग I खण्ड 1 में शनिवार, 27 नवम्बर 1965 को प्रकाशित हुई थी, 10 वर्ष की अवधि के लिये अथवा विधवा के पुनर्विवाह करने तक, जो भी पहले हो, 25 रुपये प्रतिमाह की दर से उनकी विधवा को देय वित्तीय भत्ता मिलने की मंजूरी भी इसमें निहित है। वित्तीय भत्ता घटना की तारीख अर्थात् 26 फरवरी, 1967 से मिलेगा।

धर्म प्रकाश आनन्द, अतिरिक्त सचिव।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967